सं.एन 84/2017-बीसी.III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: मीडिया द्वारा बच्चों की पहचान प्रकट करने पर प्रतिबंध के संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मीडिया द्वारा बाल पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74:

(1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में किसी समाचारपत्र, पत्रिका, समाचार पत्र या ऑडियो-विजुअल मीडिया या संचार के अन्य रूपों में कोई रिपोर्ट ऐसे नाम, पता या स्कूल या किसी अन्य विशिष्टता का खुलासा नहीं करेगी, जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या किसी अपराध के पीड़ित बच्चे या साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त कीसी विधि के अधीन ऐसे मामलें लिप्त है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा: परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति ऐसे प्रकटीकरण की अनुज्ञा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, दे सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा उन मामलों में बच्चे के किसी अभिलेख का खुलासा नहीं करेगी जहां मामला बंद कर दिया गया है या उसका निपटान कर दिया गया है।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

धारा 23 पोक्सो अधिनियम, 2012:

"(1) कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक संबंधी सुविधाओं से किसी भी बच्चे के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है।

(2) मीडिया में कोई भी रिपोर्ट जिसमें बच्चे की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसके नाम सहित पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, आस-पड़ोस, या कोई अन्य विवरण हो, जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है, का खुलासा नहीं करेगी। बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने में सक्षम विशेष न्यायालय, ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं का प्रकाशक या मालिक अपने कर्मचारी के कृत्यों और लोपों के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह किसी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो एक साल तक का हो सकेगा या जुर्माना से या दोनों" हो सकता है।

2. यह भी उल्लेख करना उचित है कि एनसीपीसीआर ने दिनांक 30.08.2013 के पत्र के माध्यम से एके अस्थाना बनाम भारत संघ और अन्य (सिविल डब्ल्यू.पी. 787/2012) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.12.2012 के आदेश की एक प्रति अग्रेषित की जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तदनुसार, इस मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2013 को सभी टीवी चैनलों/एफएम रेडियो स्टेशनों/सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और स्व-विनियामक निकायों नामतः एनबीए, आईबीएफ और एएससीआई को दिनांक 17.10.2013 को एक पत्र जारी किया जिसमें उनसे दिनांक 05.12.2012 के पूर्वोक्त आदेश तथा उसमें उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध है कि वे इस मंत्रालय की दिनांक 17.10.2013 की एडवायजरी का अनुपालन करें और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/-

(एम. राजेंद्रन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23386819

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तृतीय मंजिल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307
2. श्री पुनीत गोयनका, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), बी304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली – 110049